सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **179/2019** दायर दिनाँक **24.07.2019**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. पतासी देवी पत्नि श्री भंवरराम उम्र 50वर्ष 2. प्रकाश पुत्र श्री भंवरराम उम्र 30 वर्ष समस्त जातिगण जाट, निवासीगण डाकीपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी डाकीपुरा तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राज। 2. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राज.। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा वकील वादीगण।
2. श्री हरफुल राव वकील प्रतिवादी सं0 01

दिनाँक **14.02.2020**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जा काश्त व पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1189/1102 रकबा 28.0400 बीघा वाके ग्राम गोमथलिया व खसरा नम्बर 1253/1112 रकबा 16.1000 बीघा वाके ग्राम डाकीपुरा पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना में अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पहले वादीगण के पूर्वज तिलोकाराम के नाम से रहा है व उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादी संख्या 01 के पति व वादी संख्या 02 के पिता प्रतिवादी भंवरराम के नाम से खातेदारी की रही तथा उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी की सयुक्त कब्जा काश्त की चली आ रही है। वादीगण तथा प्रतिवादी एक ही परिवार के है परन्तु आपसी मनमुटाव के कारण वादीगण व प्रतिवादी अलग–अलग कर रहे है। नकल खतौनी व रेवन्यू ट्रेश नक्शा पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 179 / 2019
दायर दिनाँक 24.07.2019, निर्णय दिनाँक 14.02.2020
पतासी देवी बनाम भंवराराम, वगैरा।

उपरोक्त खसरा नम्बर 1189 / 1102 रकबा 28.0400 बीघा वाके ग्राम गोमथलिया व खसरा नम्बर 1253 / 1112 रकबा 16.1000 बीघा वाके ग्राम डाकीपुरा पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना के खेताय में वादीगण व प्रतिवादी पक्ष के बीच में पूर्व में वर्षो पहले मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था। तथा प्रतिवादी बहुत ही चालाक व्यक्ति है वह वादीगण से अलग रहता है तथा उन्हे किसी प्रकार से भरण पोषण नही किया तथा वादीगण को शुरू से ही अपने से अलग–अलग रखा। तथा सामाजिक स्तर पर समाज के मौजिज व्यक्तियों ने प्रतिवादी को समझाईस कर पैतृक खेताय का मौखिक बंटवारा कर दिया तथा वादीगण के भरण पोषण उक्त खेतों से होने वाली आय से हो जायें एवं मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर सींवे नीवें कायम कर वादीगण व प्रतिवादी पक्ष पैत्रिक कृषि भूमि में नोशनल शेयर के हक हिस्सा में काबिज काश्त हो गये। परन्तु उक्त पैत्रिक कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नही हुआ है।

यह है कि वादी संख्या 01 के ससुर व वादी संख्या 02 के दादा तिलोकाराम की पैत्रिक कृषि भूमि पूर्व में तिलोकाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है तथा उनके स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 भंवराराम अपने बंट की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर काबिज काश्त हो गया तथा उक्त कृषि भूमि पैत्रिक खातेदारी होने के कारण उक्त कृषि भूमि में वादीगण का अपना हक हिस्सा निहित होने के नाते उक्त अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर वादीगण अपनी हक व बंट की कब्जा काश्त की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच सामाजिक स्तर से समाज के लोगो द्वारा वादीगण को आजिविका चलाने हेतु प्रतिवादी के खेतों से तीन अलग–अलग हिस्से करके दो हिस्से वादीगण के हिस्से में तथा एक हिस्सा प्रतिवादी के हिस्से में देकर अलग–अलग ही सीवें नींवे बना जिसमें खेत खसरा नम्बर 1189 / 1102 रकबा 28.0400 बीघा वाके ग्राम गोमथलिया की भूमि में से 28 बीघा भूमि वादीगण के हक व बंट में दी गयी है तथा 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 भंवराराम के बंट में आई हुई है तथा उसी भूमि पर पूर्व में आये हिस्से के अनुसार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 179/2019
दायर दिनाँक 24.07.2019, निर्णय दिनाँक 14.02.2020
पतासी देवी बनाम भंवराराम, वगैरा।

काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 1253/1112 रबका 16.1000 बीघा वाके ग्राम डाकीपुरा की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में आयी है जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन वर्तमान में उक्त पेत्रिक कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले के नाम से ही चली आ रही है मगर प्रतिवादी पक्ष प्रायः पूर्व में हुए बंटवारे को लेकर व राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के कारण विवाद करता रहता है। इसलिए उक्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने हेतु यह वाद पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि –

1) यह है कि खसरा नम्बर 1189/1102 रकबा 28.0400 बीघा वाके ग्राम गोमथलिया पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना की भूमि में से 28 बीघा भूमि वादीगण के हक व बंट एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि का स्वतन्त्र खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें एवं वादीगण को उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध पारित करने की कृपा करावें।

2) यह है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की कृपा करावें कि वादीगण के कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बरान् की भूमि के स्वतन्त्र उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। एवं न ही खातेदार की आड़ में बैचाण हस्तान्तरण करे।

3) यह है कि अन्य कोई उचित अनुतोष जो वादीगण के हित व लाभ का हो की डिक्री भी वादीगण के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 01 का इकबालियां जवाब पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 179/2019
दायर दिनाँक 24.07.2019, निर्णय दिनाँक 14.02.2020
पतासी देवी बनाम भंवरराम, वगैरा।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। अतः वाद विवेचन दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर मौजा गोमथलियां की शरहद में खेत ख0नं0 1189/1102 रकबा 28.04 बीघा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.02.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **179/2019** दायर दिनाँक **24.07.2019**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. पतासी देवी पत्नि श्री भंवरराम उम्र 50वर्ष 2. प्रकाश पुत्र श्री भंवरराम उम्र 30 वर्ष समस्त जातिगण जाट, निवासीगण डाकीपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. भंवरराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी डाकीपुरा तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राज। 2. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला–नागौर, राज.। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **14.02.2020**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा वकील वादी व श्री हरफुल राव, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, मौजा गोमथलियां की शरहद में खेत ख0नं0 1189/1102 रकबा 28.04 बीघा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.02.2020** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.20 17:52:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: